153

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1522–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–2017 पारित द्वारा तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर वृत्त–1, जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 1/अ–70/16–17

.....

कुरवाई एजुकेशन सोसायटी द्वारा अधिकृत
डॉ जफर मेंहदी पुत्र श्री मेंहदी अली खान
निवासी ए–108 अल्कापुरी हबीबगंज भोपाल म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मो.शोएब सिद्दकी पुत्र मो0 लईक सिद्दकी
निवासी मकान नं. 570 ट्यूलिप न्यू मीनाल
रसीडेसी जे0के0रोड, भोपाल जिला भोपाल

.....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नजूल सत हिरदाराम नगर वृत्त–1, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक मो.शोएब सिद्दकी द्वारा तहसीलदार, नजूल, संत हिरदाराम नगर, वृत्त–1, जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पीपलनेर, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे नम्बर 133/3/2 रकबा 0.498 हेक्टेयर भूमि का वह एकमात्र भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है । उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराये

जाने पर उक्त भूमि पर आवेदक कुरवाई एजुकेशन सोसायटी द्वारा वाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध कब्जा करना पाया गया है, अतः आवेदक संस्था का अवैध कब्जा हटाया जाकर अनावेदक को कब्जा सौंपा जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–70/16–17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक संस्था द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेष / नियम 11 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के तृतीय अपर न्यायाधीश वर्ग–1 के समक्ष स्वत्व घोषणा व तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 26–3–2013 को शून्य घोषित कराने एवं अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद वर्तमान में प्रचलित होकर व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 3–1–2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आदेश पारित किया गया है । अतः प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–5–2017 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर आवेदक संस्था को जबाव प्रस्तुत करने एवं अनावेदक को साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक संस्था द्वारा सर्वे नम्बर 133/3/1 रकबा 5 एकड़ भूमि दिनांक 27–9–1994 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है एवं शेष भूमि सर्वे नम्बर 133/3/2 रकबा 1.23 एकड़ पर कब्जा प्राप्त किया गया है अर्थात् वर्ष 1994 से ही प्रष्नाधीन भूमि पर आवेदक का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, इसलिये संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है । प्रष्नाधीन भूमि व्यपवर्तित होकर आवेदक संस्था का विद्यालय भवन बना हुआ है इसलिये भी संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(2) सर्वे नम्बर 133/3/1 के भूमिस्वामी ओमप्रकाश, राजकुमारी व विद्यादेवी थे । भूमि के भूमिस्वामियों में से केवल एक व्यक्ति श्रेष्ठराज द्वारा अनावेदक को भूमि विक्रय की गई है, अतः ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। बिना

हक यदि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण हो भी गया है तो भी उसे प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(3) जिस सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित है। उस सीमांकन को राजस्व मण्डल में चुनौती दी गई है जो कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 1278–पीबीआर/2017 पर दर्ज है, अतः सीमांकन प्रकरण लंबित होने से उसके निराकरण तक संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(4) सिविल न्यायालय में स्वत्व का प्रकरण प्रचलित होने से भी संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

तर्क के समर्थन में 1969 आरएन 629(उच्च न्यायालय), 1988 आरएन 08, 1971 आरएन 464, 2012 आरएन 01, 1991 आरएन 131, 2010 आरएन 114, 2010 आरएन 79, 1987 सी.सी.एल.जे.एस.एन. 65, 2015(3) एम.पी.एल.सी.98(एम.पी.), डब्ल्यू.पी. नम्बर 1183/1995 निर्णय दिनांक 2–5–1996, डब्ल्यू.पी.नम्बर 1994/1996 निर्णय दिनांक 11–3–1999 तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक 6–एक/1996 आदेश दिनांक 22–5–2001 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित है, इस संबंध में कोई भी दस्तावेज आवेदक संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि किस आदेश से कब व्यपवर्तित कराई गई है ।

(2) आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1994 से कब्जा है, यह सिद्ध नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार व्यवहार न्यायालय से डिक्री प्राप्त नहीं की गई है ।

(3) सर्वे नम्बर 133/3/2 रकबा 1.23 एकड़ अनावेदक द्वारा श्रेष्ठराज से क्रय की गई है और श्रेष्ठराज ही उपरोक्त भूमि का एकमात्र भूमिस्वामी है, इसमें आवेदक संस्था का कोई स्वत्व नहीं है ।

(4) आवेदक संस्था को व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वाद वह व्यक्ति ला सकता है जिसका प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित हो । आवेदक संस्था का प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित नहीं है ।

(5) अनावेदक द्वारा अपनी भूमि सर्वे कमांक 133/3/2 क्रय करने के बाद बटांन एवं सीमांकन कराया गया है ।

(6) आवेदक संस्था द्वारा इस न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं । आवेदक संस्था प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी नहीं है, इसलिये उसे आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

(7) आवेदक संस्था द्वारा व्यवहार न्यायालय में दो प्रकरण दायर किये गये थे, जिसमें प्रकरण कमांक 57–ए/2016 को दिनांक 11–7–2017 को वापिस ले लिया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा ग्राम पीपलनेर तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 133/3/2 रकबा 0.498 हेक्टेयर पर आवेदक का अवैध कब्जा बताते हुये कब्जा वापिसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/16–17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन में कार्यवाही निरस्त किये जाने संबंधी आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदन पत्र के संलग्न व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 3–1–2017 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के तृतीय अपर न्यायाधीश वर्ग–1 भोपाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 133/3/2 रकबा 0.498 हेक्टेयर से आवेदक संस्था को विधि की सम्यक् प्रकिया के अन्यथा बेदखल व हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त वाद में मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर भी पक्षकार है । इस संबंध में 2015(3) एम.पी.एल. सी. 92(एम.पी.) श्री वैष्णव सहायक ट्रस्ट विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"संहिता की धारा 250; सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 – धारा 250(2) के अन्तर्गत सिविल वाद के लंबित रहते हुये आवेदन पोषणीय नहीं है इसलिये राजस्व न्यायालय आवेदक को धारा 250(2) के अन्तर्गत सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता।"

इसी प्रकार 2010 आरएन 79 रामसिया दुबे विरूद्ध रामसेवक तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 250 – कब्जा पुर्नस्थापन हेतु कार्यवाही – सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व का प्रश्न निर्णय हेतु लंबित – सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जानी चाहिये – सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर आबद्धकर है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर वृत्त–1, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2017 निरस्त किया जाकर तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित कार्यवाही निरस्त की जाती है । व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर